

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 जून 2026—ज्येष्ठ 29, शक 1948

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 मार्च 2026

क्रमांक ESTB-102(1)/93//2026-GAD-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री संजीव कुमार झा, भा.प्र.से. (2011), संचालक, स्वास्थ्य सेवायें को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त-सह-संचालक, स्वास्थ्य सेवायें के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

LAW AND LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Nava Raipur, Atal Nagar (C.G.)

Nava Raipur, the 23rd November 2025

F. No. 3732/3145/XXI-B/C.G./2025.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984), the State Government, hereby, with the concurrence of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh and in compliance of Memo No. 1404/II-15-2/2005 (Pt.-IV)/Confdl./2025. Bilaspur, dated 20-11-2025 by withdrawing the services of the following member of Higher Judicial Services specified in column (2) of the Schedule below, appoints him as Additional Principal Judge, Family Court, as mentioned in column (3) of the Schedule, from the date he assumes charge of his office, namely :—

S. No. (1)	Name of Judicial Officer with present place of posting (2)	Name of the Court (3)
1	Shri Anand Kumar Dhruw, Principal District and Sessions Judge, Kanker	III Additional Principal Judge, Family Court, Raipur

Nava Raipur, the 23rd November 2025

F. No. 3734/3145/XXI-B/C.G./2025.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984), the State Government, hereby, with the concurrence of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh and in compliance of Memo No. 1404/II-15-2/2005 (Pt.-IV)/Confdl./2025. Bilaspur, dated 20-11-2025 appoints the following member of the Higher Judicial Services specified in column (2) of the Table below to the post as mentioned in column (3) of the Table, from the date he assumes charge of his office, namely :—

S. No. (1)	Name of Judicial Officer with present place of posting (2)	Name of the Court (3)
1	Shri Rajendra Kumar Verma, Additional Principal Judge, Family Court, Janjgir-Champa	Judge, Family Court, Manendragarh

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
BHUPENDRA KUMAR VASNIKAR, Additional Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 16 अप्रैल 2026

क्रमांक/76/भू-अर्जन/2026.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार- भाटापारा	सिमगा	मांढर प.ह.नं. 08	1.240	कार्यपालन अभियंता, म.ज.प. डिसनेट संभाग क्रमांक 3, तिल्दा- नेवरा, जिला रायपुर (छ.ग.)	चक्रवाही वितरक नहर के अकलतरा माईनर के मांढर सब माईनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिमगा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 16 अप्रैल 2026

क्रमांक/78/भू-अर्जन/2026.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार- भाटापारा	सिमगा	औरैठी प.ह.नं. 16	3.560	कार्यपालन अभियंता, म.ज.प. डिसनेट संभाग क्रमांक 3, तिल्दा- नेवरा, जिला रायपुर (छ.ग.)	सिमगा वितरक नहर के माईनर क्रमांक-02 के सब माईनर क्रमांक-03, नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिमगा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 16 अप्रैल 2026

क्रमांक/80/भू-अर्जन/2026.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार- भाटापारा	सिमगा	डोंगरिया प.ह.नं. 05	1.010	कार्यपालन अभियंता, म.ज.प. डिसनेट संभाग क्रमांक 3, तिल्दा- नेवरा, जिला रायपुर (छ.ग.)	चक्रवाही वितरक नहर के अकलतरा माईनर के लावर सब माईनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिमगा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 16 अप्रैल 2026

क्रमांक/82/भू-अर्जन/2026.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार- भाटापारा	सिमगा	खडुवा प.ह.नं. 14	1.380	कार्यपालन अभियंता, म.ज.प. डिसनेट संभाग क्रमांक 3, तिल्दा- नेवरा, जिला रायपुर (छ.ग.)	सिमगा वितरक नहर के बांयी तट नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिमगा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 16 अप्रैल 2026

क्रमांक/84/भू-अर्जन/2026.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार- भाटापारा	सिमगा	बनसांकरा प.ह.नं. 13	0.880	कार्यपालन अभियंता, म.ज.प. डिसनेट संभाग क्रमांक 3, तिल्दा- नेवरा, जिला रायपुर (छ.ग.)	सिमगा वितरक नहर के माईनर क्रमांक-11 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिमगा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 16 अप्रैल 2026

क्रमांक/86/भू-अर्जन/2026.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार- भाटापारा	सिमगा	अकलतरा प.ह.नं. 07	1.330	कार्यपालन अभियंता, म.ज.प. डिसनेट संभाग क्रमांक 3, तिल्दा- नेवरा, जिला रायपुर (छ.ग.)	चक्रवाही वितरक नहर के अकलतरा माईनर के अकलतरा सब माईनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिमगा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कुलदीप शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

रायगढ़, दिनांक 20 मई 2026

281/3

0.360

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1267/20250804210005/अ-82/
2024-25.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है
कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के
पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और
पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात्
अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा
यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए
आवश्यकता है :—

283/3

0.512

योग

02

0.872

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-पुसौर

(ग) नगर/ग्राम-टिनमिनी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.872 हेक्टेयर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक
प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
(रा.), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक चतुर्वेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 11 मई 2026

“प्रारूप-ख”

[नियम-5 का उपनियम (1)]

राजस्व प्रकरण क्रमांक 1091/202605042100008/बी-121/2025-26.— राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है
कि ग्राम साराडीह, प.ह.नं. 34, तहसील डभरा, जिला सक्ती से जल परिवहन हेतु ग्राम-लारा प.ह.नं. 40 एनटीपीसी, तहसील-पुसौर, जिला
रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-सराईपाली, प.ह.नं. 33,
तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में
वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

ग्राम-सराईपाली, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प.ह.नं.	खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	सराईपाली प.ह.नं. 33	283	0.056
			170/2	0.023
			170/4	0.008
			171/1	0.020
			171/2	0.012
			163/1	0.241
			173/3	0.091
			173/4	0.144
			173/7	0.093
			176	0.083
			177	0.093
			180	0.021
			179/4	0.061
			179/3/क	0.057
			179/3/ख	0.023
			185/2	0.141
			185/3	0.020
			161/1	0.149
			161/2	0.045
			139/2, 160/2	0.220
			136/4	0.065
			138	0.040
			139/3, 160/3	0.021
			140/1	0.016
			140/2	0.269
			141	0.132
			152, 153/1, 147/1, 148/1, 157, 158	0.152
			147/2, 148/2	0.061
			150/2	0.261
			129	0.338
			31	0.061
			128	0.040
			127/2	0.024
			127/1	0.021
			54	0.140

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			130/2	0.065
			43/3	0.053
			43/2	0.065
			43/4	0.061
			44/2	0.020
			44/1	0.121
			46/4	0.061
			41/2	0.049
			39	0.061
			47/1	0.061
			48/3	0.210
			48/1	0.020
			49/1	0.258
			51/4	0.102
			52/4	0.078
			55/1अ	0.130
			55/1च	0.049
			55/1छ	0.012
			51/3	0.162
			55/1ख	0.101
			55/3	0.004
			61/1	0.032
			56/2	0.202
			60/3	0.028
			66/2	0.135
			75	0.132
			60/2	0.045
			72/1	0.084
			73	0.126
		योग	70	5.769

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा।

रायगढ़, दिनांक 11 मई 2026

“प्रारूप-ख”

[नियम-5 का उपनियम (1)]

राजस्व प्रकरण क्रमांक 1102/202605042100002/बी-121/2025-26.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, प.ह.नं. 34, तहसील डभरा, जिला सक्ती से जल परिवहन हेतु ग्राम-लारा प.ह.नं. 40 एनटीपीसी, तहसील-पुसौर, जिला रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी है।

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-बुनगा, प.ह.नं. 34, तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

अनुसूची

ग्राम-बुनगा, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प.ह.नं.	खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	बुनगा प.ह.नं. 34	97	0.081
			90/2	0.022
			90/3	0.022
			94/2	0.134
			90/1	0.070
			90/4	0.036
			91/1	0.105
			94/1	0.053
			88/5	0.036
			94/3	0.056
			88/6	0.020
			88/7	0.020
			89/3	0.093
			94/7	0.020
			92/1/क	0.045
			92/3	0.090
			92/1/ख	0.032
			92/2	0.016
			72/3	0.261, 0.061
			72/2	0.148
			71/2	0.030
			67/11	0.047

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			71/1	0.116
			72/1	0.036
			70/3	0.227
			69/2	0.004
			69/1	0.085
			70/1	0.091
			68/13	0.020
			358/1	0.073
			68/18	0.067
			68/20, 68/2, 68/6	0.085
			67/1	0.096
			64/2	0.036
			67/3	0.120
			67/14	0.080
			67/2	0.032
			67/10	0.045
			67/15, 65	0.301
			60/1/ग	0.118
			61	0.110
			62	0.020
			60/1/क	0.085
			60/4	0.045
			60/2	0.060
			59/1	0.041
			59/4	0.041
			59/3	0.036
			58/1	0.008
			58/6	0.008
			58/7	0.008
			58/8	0.008
			58/3	0.016
			58/9	0.016
			58/5	0.023
			58/2	0.023
			58/4	0.023
			55/3	0.061
			55/1	0.101
			307	0.160
			308/1	0.110
			302/2	0.061
			313/1	0.041
			315/3	0.020
			316	0.075
			301/6	0.020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			317/2	0.081
			317/3	0.021
			318/1, 318/5	0.073
			318/2	0.101
			318/3	0.101
			318/4	0.060
			320/8	0.085
			320/3	0.085
			320/7	0.044
			320/2	0.054
			321	0.202
			369/1/घ	0.065
			369/1/ङ	0.101
			360/3	0.112
			360/2	0.025
			360/5	0.150
			360/1	0.168
			360/4	0.091
			360/6	0.091
			362/1	0.089
			366/1	0.120
			367/1/क	0.151
			367/2/क	0.130
			367/2/ग	0.096
			365/3	0.061
			365/4	0.059
			366/2	0.020
			366/3	0.177
			384/2	0.116
			384/3	0.101
			384/7	0.068
			384/5	0.020
			384/8	0.067
			384/1	0.138
			384/4	0.067
			382/4	0.101
			382/1/क	0.052
			382/1/उ	0.130
		योग	108	7.823

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

रायगढ़, दिनांक 11 मई 2026

“प्रारूप-ख”

[नियम-5 का उपनियम (1)]

राजस्व प्रकरण क्रमांक 1106/202605042100005/बी-121/2025-26.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, प.ह.नं. 34, तहसील डभरा, जिला सक्ती, से जल परिवहन हेतु ग्राम-लारा प.ह.नं. 40 एनटीपीसी, तहसील-पुसौर, जिला रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-कठली, प.ह.नं. 24, तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

ग्राम-कठली, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प.ह.नं.	खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	कठली प.ह.नं. 24	275/1	0.189
			273	0.129
			271/1	0.008
			272/1	0.008
			272/2	0.086
			265/1	0.063
			233/3	0.008
			230/14	0.036
			267	0.161
			259	0.018
			260	0.036
			258/2	0.012
			257/1	0.032
			257/3	0.032
			257/2	0.028
			233/1	0.075
			230/8	0.022
			231	0.045
			230/11	0.008
			143/1	0.306
			190	0.093
			230/4	0.020
			230/7	0.028

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			230/1	0.012
			188	0.100
			189	0.057
			230/3	0.020
			217	0.012
			222/2	0.032
			223	0.008
			220/1	0.062
			220/2	0.030
			187/1	0.093
			187/2	0.092
			141	0.180
			187/3	0.241
			414	0.060
			147/1	0.075
			167/2	0.061
			168/3	0.065
			168/2	0.020
			168/4	0.037
			149/3	0.061
			168/1	0.101
			167/1	0.045
			167/3	0.061
			167/4	0.081
			147/2	0.050
			147/3	0.028
			135	0.150
			146/2	0.014
			148/2	0.075
			150/5	0.038
			150/1	0.127
			152/1	0.008
			153/3	0.008
			142/2	0.048
			143/2	0.012
			140	0.121
			136	0.210
		योग	60	3.938

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

महेश शर्मा
सक्षम प्राधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा, जिला-सक्ती (छ.ग.)

सक्ती, दिनांक 29 मई 2026

“प्रारूप-घ”

(नियम-6 देखिये)

क्रमांक 1144/2026053104000022/बी-121/2025-26.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा को अधिसूचना क्रमांक 1524 दिनांक 25-07-2025 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 01-08-2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त अपेक्षों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

ग्राम-बरहागुड़ा, तहसील-चन्द्रपुर, जिला-सक्ती (छ.ग.)

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प.ह.नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सक्ती	चन्द्रपुर	बरहागुड़ा/09	188	0.028
			189	0.061
			224	0.068
			198, 199, 200, 218, 222, 223	0.678
			204	0.028
			105	0.037
			106/2	0.040
			107/2	0.085
			205	0.045
			201/2	0.040
			201/1	0.040

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			206	0.032
			135/3	0.032
			135/5	0.072
			135/6	0.054
			136	0.157
			137	0.098
			107/1	0.024
			104/1	0.020
			104/3	0.020
			104/4	0.020
			104/5	0.020
			126	0.045
			123	0.075
		कुल योग	24	1.819

विनय कुमार कश्यप
सक्षम प्राधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2025

क्रमांक 794/दो-2-7/2019.—श्री आलोक कुमार (वरि.), प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 04-11-2025 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2023 से 31-10-2025 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 324/PS LAW/89/XXI-B/C.G./24 दिनांक 16-02-2024 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2025

क्रमांक 795/दो-2-39/2015.—श्री निरंजन लाल चौहान, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 04-11-2025 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2023 से 31-10-2025 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 324/PS LAW/89/XXI-B/C.G./24 दिनांक 16-02-2024 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2025

क्रमांक 796/दो-3-28/2008.—श्रीमती गिरिजा देवी मेरावी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 13-11-2025 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2023 से 31-10-2025 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 324/PS LAW/89/XXI-B/C.G./24 दिनांक 16-02-2024 के आलोक में प्रदान की जाती है।

आदेशानुसार,
आर. पी. देवांगन, बजट अधिकारी.
